न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 2674/2016

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. सुरजीदेवी पुत्री शंकर
2. सुखीदेवी पत्नि शंकर
3. मदनलाल पुत्र जसाराम
4. प्रकाश पुत्र गंगाराम

जातियान–बावरी, निवासी–जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
2. अर्जुनराम पुत्र भीरदाराम
जाति–बावरी, निवासी–जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 23/09/2016

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता, प्रति0।

–:: निर्णयः– दिनॉकः 13/09/2017

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–जैतारण, पटवार मण्डल–जैतारण, तहसील–जैतारण में स्थित प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 488/1030 रकबा 21–06 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसमें प्रार्थी संख्या 01 व 02 का उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि में रकबा 19–06 बीघा तथा प्रार्थी संख्या 03 व 04 का रकबा 02–00 बीघा के खातेदार काश्तकार हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 तथा नक्शा ट्रेश पेश हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के चारों ओर मेढ़बन्दी / खन्दक लगी हुई हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 02 का कोई हक अधिकार नहीं हैं। परन्तु दिन प्रतिदिन खन्दक / मेढ को खुर्दबुर्द करता हैं व प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को अपनी कृषि भूमि में मिलाता हैं। मना करने पर गाली गलौच, लडाई झगड़ा करने पर आमादा होता हैं। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कब्जे काश्त को भूमि में पूर्व में सीमांकन / पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 को प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 01 के आदेश क्रमांक/भू0अभिलेख सी.ज्ञान/2016/3624 दिनांक 22/06/2016 की पालना में दिनांक 09/07/2016 को पटवार हल्का द्वारा जैतारण सरहद मौजा–जैतारण में खसरा नम्बर 488/1030 रकबा 21–06 बीघा कृषि भूमि पर मौके पर पहुंच कर सीमांकन करने लगे, तब अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मौके पर विवाद करने पर सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। नकल फर्द मौका रिपोर्ट पेश हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि को सैटलमेन्ट अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान करवाना चाहता हैं। वर्तमान में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सैटलमेन्ट विभाग, जोधपुर के अधीन आता हैं। उनसे पेमाईश करने पर श्रीमान् के यहां धारा 128 एल आर एक्ट के तहत् प्रार्थना पत्र पेश करने पर व श्रीमान् द्वारा आदेश देने पर प्रार्थीगण नियमानुसार सीमाज्ञान हेतु फीस भी जमा करवाने को तैयार हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को सैटलमेन्ट के मोमी ट्रेश नक्शे के आधार पर सैटलमेन्ट टीम द्वारा मुन्किल बिन्दू तय कर सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक हैं व सीमाज्ञान कर मौके पर पत्थरगढ़ी भी की जाना आवश्यक हैं। जिससे पड़ौसी खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। अप्रार्थी संख्या 01 भूमिधारी राजस्थान सरकार हैं तथा जिन्हें उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया हैं। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पी.एफ नोटिस पेश हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। वकील अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित ने जबाब पेश नहीं करना जाहिर किया, जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर बन्द किया जाता हैं। बहस वकुलाय सुनी गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात तथा जमाबन्दी संवत् 2069-72, ट्रेश नक्शा का गहनता से अध्ययन किया जाकर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं तथा अपनी आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। लिहाजा विवादित आराजी का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा-जैतारण, पटवार मण्डल-जैतारण, तहसील-जैतारण में स्थित प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 488/1030 रकबा 21-06 बीघा किस्म बारानी दोयम में प्रार्थीगण के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 488/1030 का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/09/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली